कोई कार्रवाई करेगी जिन्होंने अपने बीमा एजेंटों को इस शर्त को बताने से रोक दिया जिसके कारण हजारों लोगों का नुकसान हुआ। यह शर्त पूर्व सरकार के समय में बदली गई थी और हो सकता है कि सरकार ने जीवन बीमा निगम के उच्च अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला हो कि वे इस तरह के आदेशों को एजेन्टों को न बतलाने को कहें, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने भी जीवन बीमा निगम के अधिकारियों पर ऐसा दबाव तो नहीं डाला है और यदि हमारी सरकार ने ऐसे आदेश नहीं दिये है तो क्या सरकार उन उच्च अधिकारियो के खिलाफ़ कार्यवाही करेगी जिन्होंने अपने एजेंटों को इस शर्त को न बताने के लिए कहा हो।

तीसरे क्या यह सही नहीं है कि जनता सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गयी है और गलत समाचार दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बीमा डवलपमेंट अधिकारियों के नेता के खिलाफ कार्यवाही करेगी अगर यह खबर गलत हो ?

(ii) REPORTED LEAKAGE OF ALVA COMMISSION REPORT

SHRI BHAGAT RAM (Phillaur): With your permission, I am raising this matter of urgent public importance under rule 377: the statement of Shri Raj Narain hon. Health Minister in the Lok Sabha on 2nd March 1978 that the report of the Alva Commission has come as a "shocking revelation" on the treatment meted out to Shri Jayaprakash Narain during his detention in the PGI and the news item in the Indian Express, March 4, 1978 'PGI doctors indicated' is causing grave doubts among the people of the country about the PGI, Chandigarh. The entire nation was looking forward to see the real contents of the report which the hon. Minister promised to place on the Table of the House. But the subsequent decision of the Minister not to disclose the so-called 'interim report' to spread dissatisfaction and suspicious amongst the people. Now a news report from the *Tribune*, Chandigarh dated 12-3-1978 under the heading of 'Mystery of JP's Digoxin Toxicity not solved' has disclosed really the shocking revelations which must be probed through a judicial enquiry to clear the doubts and suspicion. The demand for a judicial enquiry as put forth by PGI doctors has a general support from all walks of life and must be conceded to so that justice prevails and the public is made aware of the facts. Only in judicial enquiry the realities can be brought to book where everybody shall have the right to say and the right to defence. In view of the above, I would like to request the hon. Minister to make a categorical statement about the leakage of report to the Press before it is presented to the Parliament and I also strongly demand a judicial enquiry into the whole incident.

(iii) SITUATION IN ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आजमगढ़ी और गैरआजमगढ़ी स्थिति से उत्पन्न अशांत और उपद्रवग्रस्त वातावरण की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

वहां के वाइस चांसलर ने विश्वविद्यालय को दो भागों में विभक्त कर दिया है—एक तो आजमगढ़ी और दूसरा गैरआजमगढ़ी। आजमगढ़ी से उनका मतलब यह है कि अलीगढ़ से पूर्व के जो भी विद्यार्थी है वे आजमगढ़ी है। इस सम्बन्ध में वहां के एक विद्यार्थी, श्री अमजदखां जो कि सुलेमान हाल मे रहते हैं, ने जब वाईस चांसलर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी यह बताया कि आजमगढ़ी मीस अलीगढ़ यूनीवर्सिटी से पूर्व और बिहार के बार्डर तक का क्षेत्र। इस स्थिति के चलते वहां के विद्यार्थियों के संगठन ने, अध्यापक संगठन ने, कर्मचारियों के संगठन ने वहां के वाइस चांसलर को वहां से हटाने की मांग की है। स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि इस भ्रष्टाचार,